

पोषक,
राजन राठी,
सिविल जज (जू०डि०)/एफ.टी.सी.
बागपत।

सेवा में,
माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,
श्रीमान जनपद न्यायाधीश
बागपत।

विषय: पत्रांक 7419/IVAdmin(A) के अनुपालन में अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

महोदय निवेदन है कि मैंने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या 843/II-4-2020 दिनांक 18.12.2020 के अनुपालन में दिनांक 11.01.2021 को जनपद न्यायालय, बागपत में सिविल जज (जू०डि०)/एफ.टी.सी. बागपत का पदभार ग्रहण किया है। मैंने वर्ष 2018 में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से एल.एल.एम. की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की है। उपरोक्त परिपत्र के अनुपालन में तीन अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त होना है।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि मुझे उपरोक्त परिपत्र के अनुपालन में तीन अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान कराये जाने की कृपा करें।

सादर,

दिनांक-13.08.2021

भवदीय,
Rajeev
13/8/21

(राजन राठी)

सिविल जज (जू०डि०)/एफ.टी.सी.
बागपत।

आई.डी.नम्बर- यू०पी० 3357

संलग्नक: एल.एल.एम. की डिग्री की स्वः प्रमाणित छायाप्रति।

K
13/8
[Signature]



National Law School of India University Bangalore

Having been examined and declared successful in the courses prescribed under the Regulations and having satisfied the University's requirements on Co-curricular Activities and Conduct and Character and upon the recommendations of the Academic Council and the Executive Council of the University, the degree of


LL.M. (Master of Laws)

is hereby conferred on


Mr. Rajan Rathee

at the Twenty-sixth Annual Convocation held on
the 16th day of September, 2018.

Given under the Seal of this University


Prof. (Dr.) R. VENKATA RAO
Vice-Chancellor




JUSTICE DIPAK MISRA
Chief Justice of India & Chancellor